आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

11.07.14

न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 16/12–13

धर्मशीला देवी एवं अन्य वनाम् तारकेश्वर सिंह एवं अन्य

आदेश

यह दाखिल खारिज अपीलवाद धर्मशीला देवी पति धरनीधर शर्मा,रामशीला देवी पति राधेकृष्ण तिवारी एवं अर्चना देवी पति अनिल कुमार सभी पुत्री तारकेश्वर सिंह निवासी ग्राम अईयारा टोला रामपुर थाना करपी जिला अरवल द्वारा करपी अचंल दाखिल खारिज वाद संख्या 1252/12–13 में दिनांक 03.11.12 को अंचल अधिकारी करपी द्वारा पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	ग्राम	थाना	अंचल
342	5023 5024 5025	86 1/2 डी०	अईयारा	करपी	करपी
	5017 5020 4985	91 डी० 86 डी० 45 डी०	अईयार	करपी	करपी
	कुल	3 एकड़ 8 1/2 डी०			

वाद की प्रविष्टि की गई एवं अतरवादीगण को नोटिस निर्गत कर वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) उतरवादी संख्या 02 ने अंचल अधिकारी करपी को विवादित जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम से करने हेतुयह कहते हुए दिया कि विवादित जमीन उन्हें उतरवादी संख्या 01 तारकेश्वर सिंह से निबंधित बख्शीश द्वारा प्राप्त हुआ है जिसपर अंचल अधिकारी करपी ने वाद संख्या 1252/12–13 में दिनांक को आदेश पारित किया है जो एक त्रुटिपूर्ण और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।

(2) आदेश पारित करने के पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना दिया गया था। अपीलार्थीगण हिन्दू उतराधिकार नियम, (संशोधन) 2005 के अन्तर्गत विवादित भूमि के सह हिस्सेदार है।

(3) अंचल अधिकारी करपी द्वारा कब्जा के विन्दू पर स्वयं स्थल जॉच नही किया गया ।

(4) हल्का कर्मचारी ने सक्षम न्यायालय के आदेश को मानने हेतु प्रतिवेदित किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वत्व वाद संख्या 273/2012 की जानकरी उतरवादी एवं कर्मचारी को थी। उपरोक्त स्वत्व वाद में अपीलार्थीगण ने बख्शीशनामा की वैधता की चुनौती दी है।

(5) अंचल अधिकारी करपी ने दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 6 (12) के खिलाफ उपरोक्त वाद में आदेश पारित किया है।

(6) अपीलार्थीगण के हिस्सा की जमीन की बख्शीश करने का अधिकार उतरवादी

संख्या 01 को नही है।
(7) अंचल अधिकारी ने गलत माना है कि विवादित जमीन पर उतरवादी 02 का कब्जा है जबकि उक्त जमीन पर अपीलार्थीगण एवं उतरवादी का संयुक्त कब्जा है,सह हिस्सेदार होने के कारण।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल खारिज वाद संख्या 1252/12–13 में अंचल अधिकारी करपी द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–
(1) उतरवादी संख्या 01 ने अपनी जमीन को उतरवादी संख्या 02 को बख्शीश में दे दिया और अंचल अधिकारी करपी ने संतुष्ट होकर उपरोक्त आदेश विधिपूर्वक पारित किया है।
(2) अपीलार्थीगण द्वारा उतरवादी के विरूद्व एक बॅटवारा वाद संख्या 273/12 दायर किया गया है। अतः विद्वान न्यायालय को निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बॅटवारा वाद संख्या 273 /12 में न्यायालय का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। उतरवादी संख्या 01 को विवादित जमीन उतरवादी संख्या 02 से निबंधित बख्शीसनामा द्वारा प्राप्त हुआ है जिसपर उनका दखल कब्जा है। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त बख्शीसनामा के खिलाफ एक स्वत्व (बॅटवारा) वाद संख्या 273/12 न्यायालय में लंबित है जिसकी जानकारी अंचल अधिकारी को थी फिर भी उनके द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। अंचल अधिकारी करपी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। उक्त आदेश में कहीं भी स्वत्व वाद का जिक्र नही है। साथ ही हल्का कर्मचारी ने भी वाद लंबित होने का जिक्र नही किया है। अंचल अधिकारी ने पारित आदेश में लिखा है कि जमाबंदीदार तारकेश्वर सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर नामांतरण हेतु सहमति प्रदान किया है। भूमि पर ~~कब्जा~~ दान प्राप्तकर्त्ता नीलम कुमारी पति स्व० मनोज कुमार का दखल कब्जा है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

11.07

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

11.07

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।